

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-193-ओस / 2014-11(4)एफ० / 86(वा-3)

दिनांक 22 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या-1241-ओसं-17 / पाकालि / 2001-11(4) एफ० / 86(टी०सी०) दिनांक 20.04.2001 के प्रस्तर-2 में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होकर उचार/चिकित्सा कराये जाने पर मा. 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

एतदद्वारा उक्त प्राविधान में आंशिक संशोधन करते हुए अखित भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट (पी०जी०आई०) स्तर के केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकारी के चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होकर उपचार/चिकित्सा कराये जाने पर सम्बन्धित संस्थन द्वारा सत्यापित चिकित्सा व औषधि बीजकों की शत प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश संख्या-1241-ओसं-17 / पाकालि / 2001-11(4) एफ० / 86(टी०सी०) दिनांक 20.04.2001 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-193— ओस / 2014 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वाञ्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति-प्रथम / द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक (ओ०सं) / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वैतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरांकित आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु
- 12- सचिव, विद्युत पेंशनस परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 13- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को मद संख्या-103(19) / 13 के सन्दर्भ में प्रेषित।
- 14- कट फाइल।

Naf Matu
22.1.14
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी